

व्यावहारिक अनुभव का प्रमाण-पत्र

(पर्यवेक्षक/तारमिस्त्री परीक्षा में बैठने के लिये कर्मचारियों को देने के लिये)

1. नाम
2. पद
3. नियुक्ति का दिनांक

4. कार्य के प्रकार	किस दिनांक से	किस दिनांक तक	कुल समय		
			वर्ष	महीना	दिन
(अ) घरेलू					
(ब) औद्योगिक					
(स) शिरोपरि .					
(ड) भूमिगत					
(ई) अन्य संस्थाओं में					

5. किस दिनांक से काम छोड़ा
6. आचरण
7. अन्य मत (रिमार्क)

मैं, एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी पूर्ण जानकारी व विश्वास के अनुसार ऊपर दिया हुआ विवरण सही है।

स्थान

नियोजक या अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदार के
हस्ताक्षर व अनुज्ञप्ति क्रमांक

- टीप.—** (1) यह प्रमाण-पत्र नियोजक या ठेकेदार द्वारा उन्हीं कर्मचारियों को दिया जा सकता है जो उनके मातहत उपरोक्त कार्यों पर काम कर रहे हो या करते थे और जिनका नाम वायरिंग कर्मचारियों के रजिस्टर में चढ़ा हो।
- (2) प्रमाण-पत्र गलत साबित होने पर ठेकेदार तथा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।
- (3) सचिव, मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत्) द्वारा चाहे जाने पर उपरोक्त प्रमाण-पत्र संबंधी मूल कागजात पेश करने होंगे।